



Neutral Citation No. - 2026:AHC:46305

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8402 वर्ष 2026

सीमा यादव

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : सार्थक मिश्रा, योगेश कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी आदेश से व्यथित अनुभव करते हैं, तो आदेश में उपांतरण/फेरबदल की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगा गया मूल अनुतोष प्रत्यर्थी संख्या 2-उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत दाखिल वाद संख्या 9/2007-2008 (सीमा यादव बनाम सोनिया) में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत दाखिल याची के दिनांक 28.03.2022 के प्रार्थना पत्र को शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु निदेशित करना है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. यह मामला प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष 28.03.2022 से लंबित है और पर्याप्त समय पहले ही व्यतीत हो चुका है किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2-उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ को यह निदेश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर, अत्यंत शीघ्रता से तथा कड़ाई से विधि के अनुसार पूर्वोक्त वाद का निस्तारण करें, किंतु अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले को गुणागुण के आधार पर निर्णीत नहीं किया है।

फरवरी 27, 2026

विक्रम

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।